प्रशासकीय कार्यालय, जनपद न्यायालय–पीलीभीत।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा के **परिपत्र सं0– 14/Admin.D Section दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालनार्थ**, जनपद न्यायालयों के से अधिवर्षिता पर सेवानिव्त्त तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग कर्मचारीगण को उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष पुर्ननियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः जनपद न्यायालय पीलीभीत में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारीगण की कमी को दृष्टिगत रखते हुये, **जनपद न्यायालयों से सेवानिवृत्त एवं इच्छुक तृतीय संवर्ग एवं चतुर्थ संवर्ग कर्मचारीगण से पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।**

ऐसे पुनर्नियुक्ति हेतु **इच्छुक आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारीगण**, माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में वर्णित सेवा शर्तों के अधीन **अपना आवेदन प्रार्थना–पत्र संबंधित आवश्यक प्रपत्रों के साथ, प्रशासकीय कार्यालय के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 19.10.2024 को कार्यालय समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं।**

उक्त विज्ञप्ति की एक–एक प्रति नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स जनपद न्यायालय, पीलीभीत को आधिकारिक बेवसाइट पर अद्यतन किये जाने हेतु एवं प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, पीलीभीत को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित की जाए तथा विज्ञप्ति को, समीप के अन्यत्र जनपद न्यायालयों से सेवानिवृत्त व पुनर्नियुक्ति हेतु इच्छुक कर्मचारीगण के मध्य भी सम्भावित माध्यमों से प्रचारित किया जाए।

04.10.2024

दिनांकितः–अक्टूबर 04, 2024

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा)
जनपद न्यायालय,
पीलीभीत।